

इस अनुवृद्धि दस्तावेज में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द/शब्दों की परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं:

1. **दुर्घटना** एक अचानक, अनपेक्षित, और अनैच्छिक घटना है जो बाहरी, हिंसक और दृश्यमान साधनों द्वारा घटित होती है।
2. **आयु** पॉलिसी के प्रारंभ होने के समय बीमित व्यक्ति के निकटतम जन्म दिवस पर उसकी आयु है। लेकिन 18 वर्ष की आयु के लिए यह पूर्ण वर्ष में होगी।
3. **मूल पॉलिसी** का सम्बंध उस पॉलिसी से है, जिसके साथ यह अनुवृद्धि दस्तावेज संलग्न है।
4. **एलआईसी की दुर्घटनात्मक मृत्यु तथा अपंगता हितलाभ अनुवृद्धि प्रारंभ होने की तारीख** इस अनुवृद्धि की प्रारंभ-तारीख है।
5. **अनुवृद्धि के लिए जोखिम प्रारंभ होने की तारीख** वह तारीख है, जिस पर निगम, मूल पॉलिसी के साथ साथ इस अनुवृद्धि की जोखिम (सुरक्षा) के लिए जोखिम को स्वीकृत करता है, जैसाकि इस अनुवृद्धि की अनुसूची में दर्शाया गया है।
6. **बीमित व्यक्ति** वह व्यक्ति है जिसके जीवन पर इस अनुवृद्धि के साथ मूल पॉलिसी के लिए बीमा सुरक्षा स्वीकार की गई है।
7. **सीमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसी** का अर्थ है एकल प्रीमियम पॉलिसी के अलावा नॉन-लिंक्ड बीमा पॉलिसी, जहां पॉलिसी अवधि की तुलना में प्रीमियम भुगतान की अवधि सीमित है, और प्रीमियम वार्षिक, छमाही, त्रैमासिक, मासिक या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी भी नियमित अंतराल पर देय हैं।
8. **पॉलिसी धारक** इस पॉलिसी का कानूनी स्वामी है।
9. **प्रीमियम भुगतान अवधि** का अर्थ वर्षों में वह अवधि है, जिसके दौरान प्रीमियम भुगतान करना है।
10. **प्रस्तावक** वह व्यक्ति है जो इस अनुवृद्धि के साथ मूल पॉलिसी के लिए जीवन बीमा प्रस्तावित करता है।
11. **नियमित प्रीमियम पॉलिसी** का अर्थ है नॉन-लिंक्ड बीमा पॉलिसी, जहां प्रीमियम भुगतान पॉलिसी की अवधि या पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान देय होता है, और प्रीमियम वार्षिक, अर्ध-वार्षिक, त्रैमासिक, मासिक या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी भी नियमित अंतराल पर देय होते हैं।
12. **अनुवृद्धि** वह अतिरिक्त सुरक्षा है जिसका चयन मूल योजना के साथ किया जा सकता है।
13. **अनुवृद्धि अवधि** का अर्थ है, वर्षों में, पॉलिसीधारक द्वारा चुनी गई और अनुसूची में उल्लेखित अवधि जो एलआईसी की दुर्घटनात्मक मृत्यु तथा अपंगता हितलाभ अनुवृद्धि के शुरु होने की तारीख से समाप्ति की तारीख तक की अवधि है।
14. **अनुसूची** इस अनुवृद्धि दस्तावेज का हिस्सा है जो आपकी अनुवृद्धि के विशिष्ट विवरण देता है।
15. **एकल प्रीमियम पॉलिसी** का मतलब नॉन-लिंक्ड बीमा पॉलिसी है, जहां पॉलिसी के शुरु होने पर प्रीमियम का भुगतान एकमुश्त किया जाता है।
16. **दुर्घटनात्मक मृत्यु तथा अपंगता हितलाभ अनुवृद्धि प्रीमियम** पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए अतिरिक्त सुरक्षा / लाभ, यदि कोई हों, उनके लिए पॉलिसी धारक द्वारा देय वह प्रीमियम हैं, जो मूल पॉलिसी के प्रीमियम के साथ देय है।
17. **दुर्घटना हितलाभ अनुवृद्धि बीमा राशि** अनुवृद्धि लेने के समय पॉलिसीधारक द्वारा चुनी गई राशि है, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

टिप्पणी: इस संलग्नक में कहीं भी उपयोग किए गए अन्य शब्दों / शब्दों की परिभाषा के लिए, मूल पॉलिसी में दी गई परिभाषाओं को संदर्भित किया जा सकता है।

भाग – सी : हितलाभ

1. **एक चालू अनुवृद्धि के अंतर्गत निम्नलिखित हितलाभ देय हैं:**
अगर बीमित व्यक्ति, जब यह पॉलिसी सम्पूर्ण बीमा राशि के लिए चालू हो, तब किसी भी समय दुर्घटना से सम्बद्ध होता/होती है, और समग्रतः

The definitions of terms/words used in this Rider Document are as under:

1. **Accident** is a sudden, unforeseen and involuntary event caused by external, violent and visible means.
2. **Age** is the age nearer birthday of the Life Assured at the time of commencement of this Rider except for age 18 yrs for which the age is in completed year.
3. **Base Policy** refers to the Policy to which this Rider Document is attached.
4. **Date of commencement of LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider** is the start date of this Rider.
5. **Date of commencement of risk for Rider** is the date on which the Corporation accepts the risk for insurance (cover) for this Rider as evidenced in the Schedule of the Rider.
6. **Life Assured** is the person on whose life the insurance cover has been accepted for the Base Policy along with this Rider.
7. **Limited Premium Payment Policy** means the non-linked insurance policy other than single premium policy, where the premium payment period is limited compared to the policy term, and premium are payable at regular intervals like yearly, half yearly, quarterly, monthly or any other intervals as approved by the Authority.
8. **Policyholder** is the legal owner of this policy.
9. **Premium Paying Term** means the period, in years, during which the premium is payable.
10. **Proposer** is a person who proposes the life insurance proposal for the Base Policy along with this Rider.
11. **Regular Premium Policy** means non-linked insurance policy, where the premium payment is throughout the term of the policy or premium payment term of the policy, and premiums are payable at regular intervals like yearly, half-yearly, quarterly, monthly or any other interval as approved by the Authority.
12. **Rider** is an additional cover which can be opted for along with Base Policy.
13. **Rider Term** is the period, in years, as chosen by the policyholder and mentioned in the Schedule, commencing from the Date of commencement till the Date of expiry of LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider.
14. **Schedule** is the part of this Rider document that gives the specific details of your Rider.
15. **Single Premium Policy** means non-linked insurance policy, where the premium payment is made in lump sum at the inception of the policy.
16. **Accidental Death and Disability Benefit Rider Premium** is the premium payable by the policyholder along with the premium under Base Policy towards the cover/benefit opted under the LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider.
17. **Accident Benefit Sum Assured** means the amount specified in the Schedule as opted by the Policyholder at the time of taking the Rider.

Note: For definitions of other terms/words used anywhere in this endorsement, the definitions given in the Base Policy may be referred to.

PART-C: BENEFITS

1. **The following benefits are payable under an in-force Rider:**
If the Life assured is involved in an accident at any time when this Rider is in-force, and such injury shall within 180 days of its occurrence solely, directly and independently of all other causes result in (a) either Total and Permanent disability, as hereinafter defined or (b) death of the Life assured; and the same is proved

ऐसी चोट होने के 180 दिन के अंदर, प्रत्यक्ष रूप से और सभी अन्य कारणों से स्वतंत्र हो कर (क) या तो स्थायी एवं सम्पूर्ण अपंगता, जैसा यहाँ इसके पश्चात परिभाषित है, या (ख) बीमित व्यक्ति की मृत्यु के रूप में परिणित होती है, और यह निगम के संतोष तक सिद्ध होती है, तो इस संलग्नक के भाग सी की शर्त 4 में उल्लिखित "नियमों और शर्तों" के अनुसार, निम्नांकित हितलाभ देय होंगे।

क) बीमित व्यक्ति की अपंगता की स्थिति में :

- i) इस अनुवृद्धि के तहत अपंगता हितलाभ के रूप में 10 वर्ष तक विस्तारित समान मासिक किस्तों में दुर्घटना लाभ बीमा राशि के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा, और
- ii) इस अनुवृद्धि के लिए तथा दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर मूल बीमा राशि के लिए मूल पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान की माफी। कोई अन्य अनुवृद्धि(यां), अगर चुनी गई हो, उनके प्रीमियम और मूल बीमा राशि के साथ दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के अंतर (अगर मूल बीमा राशि इस अनुवृद्धि के अंतर्गत बीमा राशि से ज्यादा हो तो) की राशि से संदर्भित मूल पॉलिसी के प्रीमियम का कुल भुगतान जारी रखना पड़ेगा, ताकि मूल पॉलिसी तथा अनुवृद्धि की शर्तों और नियमों के अनुसार संबंधित सुरक्षा जारी रहे।

उपरोक्त 10 वर्ष की अवधि, जिसके दौरान मासिक किस्त देय है, से पहले मृत्यु या परिपक्वता होने पर, अपंगता हितलाभ किस्तों को, जो देय नहीं हुए हैं, उनका भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।

अपंगता का सशक्त कारण एक 'दुर्घटना' होना चाहिए और वह सम्पूर्ण और स्थायी होना चाहिए। ऐसी दुर्घटनात्मक चोट जो सभी अन्य कारणों से स्वतंत्र होकर और ऐसी दुर्घटना के 180 दिनों के अंदर ऐसी अपंगता में परिणत हो जाती है, जिसके कारण बीमित व्यक्ति दैनिक जीवनशैली के लिए जरूरी निम्नलिखित कार्यों में से (नीचे परिभाषित) कम से कम 4 कार्य स्थायी रूप से बिना यांत्रिक उपकरणों, विशेष यंत्र, या अन्य सहायकों के उपयोग सहित अन्य कोई भी बाहरी सहायता के बिना करने में असमर्थ है, तो ऐसी अपंगता को कुल तथा सम्पूर्ण माना जाएगा। निगम द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा परीक्षक अपंगता की संपूर्णता प्रमाणित करने के लिए बीमित व्यक्ति की जांच करेंगे।

दैनिक जीवनशैली की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं :

- i. कपड़े पहनना – सभी आवश्यक वस्त्रों, कृत्रिम अंगों या ऐसे अन्य सर्जिकल उपकरणों को पहनने और उतारने की क्षमता जो की चिकित्सकीय रूप से आवश्यक है।
- ii. धोना – साफ-सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने के लिए धोने की क्षमता
- iii. भोजन करना – भोजन तैयार होने के बाद और मिलने के बाद एक प्लेट या कटोरे से भोजन को मुँह तक स्थानांतरित करने की क्षमता।
- iv. शौच करना – शौच करने या अन्यथा मल-मूत्र विसर्जन को प्रबंधित करने की क्षमता, ताकि संतोषजनक स्तर की व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखा जा सके।
- v. गतिशीलता – निवास के सामान्य स्थान पर समतल सतहों से एक कमरे से दूसरे कमरे में और घर के अंदर जाने की क्षमता।
- vi. स्थानांतरित होना – एक बिस्तर से उठकर सीधी कुर्सी या व्हील चेयर पर जाने की क्षमता और इसके विपरीत।

उपर्युक्त के बावजूद, दुर्घटना की चोटें जो अन्य सभी कारणों से स्वतंत्र रूप से और ऐसी दुर्घटना के होने से 180 दिनों के अंदर, दोनों आँखों की पूरी दृष्टि की अपूरणीय क्षति होती हैं या कलाई से या उससे ऊपर दोनों हाथों के विच्छेदन या गुल्फ पर या उसके ऊपर से दोनों पैरों का विच्छेदन, या कलाई पर या उसके ऊपर से एक हाथ का और गुल्फ पर या उसके ऊपर से एक पैर का विच्छेदन भी इस तरह की अपंगता के रूप में माना जाएगा।

अगर किसी भी समय यह पता लगता है कि इस धारा के अंतर्गत दावा गलत तरीके से दाखिल किया गया, तो ऐसी स्थिति में, निगम की सूचना की तिथि के बाद बकाया होने वाली सभी प्रीमियमों का देय तिथियों पर भुगतान

to the satisfaction of the Corporation, the following benefits shall be payable subject to 'Conditions and Restrictions' mentioned in Condition 4 of Part C of this Endorsement.

a. In case of Disability to the Life Assured:

- (i) Disability Benefit equal to the Accident Benefit Sum Assured, divided into equal monthly instalments spread over a period of 10 years, shall be paid and
- (ii) the payment of future premiums, if any, shall also be waived in respect of this Rider and the premium for Base Policy corresponding to Basic Sum Assured equal to Accident Benefit Sum Assured. The total premium including the premium for other Rider(s), if opted for, and premium under the Base Policy corresponding to the difference in the Basic Sum Assured and the Accident Benefit Sum Assured (if Basic Sum Assured exceeds the Accident Benefit Sum Assured under this Rider), shall continue to be paid for continuity of coverage of respective benefits as per the terms and conditions of the Base Policy and Rider(s).

On death or maturity before the expiry of the said period of 10 years, during which monthly instalments are to be paid, the Disability Benefit instalments, which have not fallen due, will be paid in lumpsum.

The proximate cause of disability must be an 'Accident' and must be total and permanent. Accidental injuries which independently of all other causes and within 180 days from the happening of such accident result in such disability due to which life assured is unable to perform at least 4 (four) of the following Activities of Daily Living (defined below) permanently without any external help/support including the use of mechanical equipment, special devices or other aids, then such disability shall be treated as Total and Permanent. Medical Examiner authorized by the Corporation shall examine the life assured to certify the disability as Total and Permanent.

The Activities of Daily Living are:

- i. Dressing - the ability to put on and take off all necessary garments, artificial limbs or other surgical appliances that are medically necessary
- ii. Washing - the ability to wash to maintain an adequate level of cleanliness and personal hygiene
- iii. Feeding - the ability to transfer food from a plate or bowl to the mouth once food has been prepared and made available
- iv. Toileting - the ability to use the lavatory or otherwise manage bowel and bladder functions so as to maintain a satisfactory level of personal hygiene
- v. Mobility - the ability to move indoors from room to room on level surfaces at the normal place of residence
- vi. Transferring - the ability to move from a bed to an upright chair or wheel chair and vice versa

Notwithstanding what is mentioned above, Accidental injuries which independently of all other causes and within 180 days from the happening of such accident, result in the irrecoverable loss of the entire sight of both eyes or in the amputation of both hands at or above the wrists or in the amputation of both feet at or above the ankles, or in the amputation of one hand at or above the wrist and one foot at or above the ankle, shall also be deemed to constitute such disability.

In the event of it being discovered at any time that a claim under this clause has been wrongly admitted, all premiums falling due after the date of the Corporation's intimation to that effect shall be paid on due dates and further all premiums for which waiver was wrongly claimed and all instalments of disability benefit which have been paid to the life assured shall be returned to

करना पड़ेगा और ऐसे सभी प्रीमियम जिनके लिए छूट का दावा गलत तरीके से किया गया था, और अपंगता हितलाभ की सभी किश्तें जिनका बीमित व्यक्ति को भुगतान किया गया था, समय समय पर निगम द्वारा तय किए गए दर पर ब्याज के साथ एकमुश्त रूप से निगम को वापस करना पड़ेगा, जैसे कि अपंगता नहीं हुई है, वरना ऐसा न करने पर

- i) पॉलिसी पर उपलब्ध हितलाभों को ऐसे घटा दिया जाएगा, जैसे पॉलिसी उस तिथि से बंद कर दी गई हो, जिस तिथि पर प्रीमियम कि छूट दी गयी हो, या अपंगता हितलाभ राशि की पहली किश्त के भुगतान पर, जो भी पहले हो, और
- ii) पहले से भुगतान की गई अपंगता हितलाभ राशि की किश्तों को संदर्भित पॉलिसी पर ऋण के रूप में माना जाएगा और निगम द्वारा समय समय पर तय किए गए दर पर ब्याज के साथ पॉलिसी पर देय राशि से काट लिया जाएगा।

आगे के कोई अपंगता हितलाभ किश्त/किश्तें देय नहीं होंगी, यह मानते हुए कि कोई अपंगता नहीं हुई है।

ख) बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में : इस अनुवृद्धि के अंतर्गत दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर कि राशि का भुगतान किया जाएगा। हालांकि, दुर्घटना कि समय पर अनुवृद्धि को चालू रहनी चाहिए (अर्थात् दुर्घटना की तारीख पर देय सभी प्रीमियमों का भुगतान किया होना चाहिए।

ग) परिपक्वता हितलाभ : इस अनुवृद्धि के तहत कोई भी परिपक्वता हितलाभ देय नहीं होगा।

2) प्रीमियमों का भुगतान :

क) दुर्घटनात्मक मृत्यु तथा अपंगता हितलाभ अनुवृद्धि प्रीमियम, समय-समय पर लागू करें सहित, केवल मूल पॉलिसी के प्रीमियम के साथ ही देय है और इसका अलग से भुगतान नहीं किया जा सकता है।

ख) एक बार एलआईसी कि दुर्घटनात्मक मृत्यु तथा अपंगता हितलाभ अनुवृद्धि के अंदर अपंगता दावे को स्वीकार कर लिया गया, तो इस अनुवृद्धि के लिए आगे का कोई भी प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। हालांकि, कोई अन्य अनुवृद्धि(यां), अगर चुनी गई हो, उनके लिए देय प्रीमियम और मूल बीमा राशि के साथ दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के अंतर (अगर मूल बीमा राशि इस अनुवृद्धि के अंतर्गत बीमा राशि से ज्यादा हो तो) की राशि से संदर्भित मूल पॉलिसी का प्रीमियम, इन दोनों के कुल प्रीमियम का भुगतान जारी रखना पड़ेगा, ताकि मूल पॉलिसी तथा अनुवृद्धि की शर्तों और नियमों के अनुसार संबंधित सुरक्षा जारी रहे।

ग) इस अनुवृद्धि के संबंध में भुगतान किया गया अतिरिक्त प्रीमियम मूल पॉलिसी के मृत्यु लाभ के निर्धारण और मूल पॉलिसी के अभ्यर्पण मूल्य की गणना के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।

3. अनुग्रह अवधि : जैसे मूल पॉलिसी में उल्लेखित

4. शर्तें और प्रतिबंध

क) इस पॉलिसी के संदर्भ में दुर्घटना को इस संलग्नक के भाग बी में परिभाषित किया गया है।

ख) यह अनुवृद्धि नाबालिग की जीवन पर पॉलिसी में बीमित व्यक्ति की नाबालिगी के दौरान उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि, निगम के नियमों के अनुसार दुर्घटना लाभ के लिए योग्य पाए जाने पर तथा विशिष्ट अनुरोध पर और अतिरिक्त प्रीमियम की भुगतान की प्राप्ति पर 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद की पॉलिसी वर्षगांठ से यह हितलाभ उपलब्ध होगा।

ग) जैसा की ऊपर बताया गया है, चालू पॉलिसी के अंतर्गत मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान किसी भी समय इस अनुवृद्धि का विकल्प चुना जा सकता है।, बशर्ते की मूल पॉलिसी तथा अनुवृद्धि के लिए बकाया प्रीमियम के भुगतान की शेष अवधि कम से कम 5 वर्ष हो, लेकिन उस पॉलिसी वर्षगांठ से पहले जिस पर बीमित

the Corporation in one lump sum with interest, at such rate as fixed by the Corporation from time to time, as if no disability had occurred, failing which

- (i) the benefits available under the policy shall stand reduced as if the policy has been discontinued as on the date from which premiums have been waived or on the payment of the first instalment of Disability Benefit, whichever is earlier and
- (ii) the instalments of Disability Benefit already paid shall be treated as a debt against the said policy and shall be deducted with interest at such rate as fixed by the Corporation from time to time from the proceeds of the policy.

No further instalment/s of Disability Benefit shall be payable considering as if no disability had occurred.

b. In case of Death of the Life Assured:

A sum equal to the Accident Benefit Sum Assured shall be payable under this Rider. However, the Rider shall have to be in-force at the time of accident (i.e. all due premiums should have been paid as on the date of accident).

c. Maturity Benefit:

No maturity benefit is payable under this Rider.

2. Payment of Premium:

- (a) The Accidental Death and Disability Benefit Rider premium, including the taxes as applicable from time to time, is payable only along with the premium for the Base Policy and cannot be paid separately.
- (b) Once a disability claim under LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider has been admitted, no subsequent premium towards this Rider shall be charged. However, the total premium including the premium for other Rider(s), if opted for, and premium under the Base Policy corresponding to the difference in the Basic Sum Assured and the Accident Benefit Sum Assured (if Basic Sum Assured exceeds the Accident Benefit Sum Assured under this Rider), shall continue to be paid for continuity of coverage of respective benefits as per the terms and conditions of the Base Policy and Rider(s).
- (c) The additional premium paid in respect of this Rider shall not be taken into account for determination of Death Benefit of the Base Policy and in calculating the surrender value of the Base Policy.

3. Grace period: Same as mentioned under the Base Policy.

4. Conditions and restrictions:

- (a) An Accident for the purpose of this policy is as defined in Part B of this Endorsement.
- (b) This Rider will not be available under the policy on the life of minors, during minority of the Life Assured. However, this Rider will be available from the policy anniversary following completion of age 18 years on receipt of specific request and payment of additional premium, if found eligible as per the underwriting rules of the Corporation.
- (c) Subject to as stated above, under an in-force policy the LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider can be opted for by payment of additional premium at any time within the premium paying term of the Base Policy provided, the outstanding premium paying term of the Base Policy as well as Rider is at least five years but before the policy anniversary on which the age nearer birthday of the Life Assured is 65 years. The benefit covered under this Rider will be available during the outstanding policy term of the Base Policy, or upto the policy anniversary on which the age nearer

व्यक्ति की निकटतम जन्मदिन पर आयु 65 वर्ष होगी। इस अनुवृद्धि के अंतर्गत हितलाभ मूल पॉलिसी के बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान या पॉलिसी के उस वर्षगांठ तक जिस पर बीमित व्यक्ति की निकटतम आयु 70 वर्ष हो, इनमें से जो भी पहले हो, तक उपलब्ध होंगे बशर्तें की पॉलिसी दुर्घटना की तिथि पर पूरी बीमित राशि के लिए चालू हो।

- घ) मूल पॉलिसी के अंतर्गत सभी प्रीमियमों का भुगतान कर दिए जाने के बाद अथवा उस पॉलिसी वर्षगांठ पर या उस के बाद जब बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मदिन पर आयु 70 वर्ष हो, इस में से जो भी पहले हो, इस हितलाभ के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, मूल पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम का पॉलिसी की अवधि के अंत तक 70 वर्ष की आयु से आगे, जहां भी लागू हो, भुगतान किया जाना जारी रखा जाएगा।

- ड) दुर्घटना हितलाभ बीमा सुरक्षा की अधिकतम संयुक्त सीमा निम्नानुसार होगी :

i) रु. 100 लाख की न्यूनतम मूल बीमाकृत राशि वाले एलआईसी की जीवन शिरोमणि के लिए

एक ही जीवन पर व्यक्तिगत पॉलिसियों के साथ ही समूह पॉलिसियों, जिसके लिए अग्रांकित लाभ लागू होंगे, के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ ली गई अंतर्निहित दुर्घटना लाभ वाली पॉलिसियों सहित सभी पॉलिसियों के अंतर्गत बीमा की अधिकतम संयुक्त सीमा किसी भी स्थिति में दुर्घटना लाभ बीमा राशि (एलआईसी की जीवन शिरोमणि सहित) रु. 200 लाख से अधिक नहीं होगी। यदि एक से अधिक पॉलिसियाँ होंगी और यदि कुल दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि रु. 200 लाख (एलआईसी की जीवन शिरोमणि के अंतर्गत न्यूनतम रु. 100 लाख सहित) से अधिक होगी, तो लाभ जारी की गई पॉलिसियों की तिथि के क्रम में प्रथम रु. 200 लाख दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि पर लागू होंगे।

ii) अन्य सभी योजनाओं के लिए (एलआईसी की जीवन शिरोमणि को छोड़कर)

एक ही जीवन पर व्यक्तिगत पॉलिसियों के साथ ही समूह पॉलिसियों, जिसके लिए अग्रांकित लाभ लागू होंगे, के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ ली गई अंतर्निहित दुर्घटना लाभ वाली पॉलिसियों सहित सभी पॉलिसियों के अंतर्गत बीमा की अधिकतम संयुक्त सीमा किसी भी स्थिति में दुर्घटना लाभ बीमा राशि रु. 100 लाख से अधिक नहीं होगी। यदि एक से अधिक पॉलिसियाँ होंगी और यदि कुल दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि रु. 100 लाख से अधिक होगी, तो लाभ जारी की गई पॉलिसियों की तिथि के क्रम में प्रथम रु. 100 लाख दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि पर लागू होंगे।

किसी भी स्थिति में, उपरोक्त शर्त 4(ड)(i) के अंतर्गत ली गई पॉलिसियों सहित किसी व्यक्ति को प्रदान की गई अधिकतम दुर्घटना हितलाभ बीमा सुरक्षा रु. 200 लाख से अधिक नहीं होगी।

च) प्रतिबंध :

निगम ऊपर में उल्लेखित पार्ट सी की शर्त 1 क या 1 ख में विनिर्दिष्ट हितलाभ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु :

- जानबूझकर स्वयं को चोट पहुंचाने, आत्महत्या के प्रयास, पागलपन या अनैतिकता के कारण या बीमित व्यक्ति के शराब, नशीली दवा या मादक पदार्थ (सिवाय जहां चिकित्सा के एक अंग के रूप में चिकित्सक द्वारा निर्धारित की गई हो) के प्रभाव या उपयोग के अधीन रहने के दौरान होती है; या
- दंगों, नागरिक उपद्रव विद्रोह, युद्ध (चाहे युद्ध घोषित हो या न हो), आक्रमण, शिकार, पर्वतारोहण, स्टीपल चेजिंग, किसी प्रकार की दौड़, पैराग्लाइडिंग या पैराशूटिंग में भाग लेने, साहसिक खेलों में भाग लेने के परिणामस्वरूप चोटों के कारण होती है; या
- बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक इरादे से कानून का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप होती है; या
- क) सशस्त्र बलों अथवा सैन्य सेवा में बीमित व्यक्ति के नौकरी से होती है। यदि बीमित व्यक्ति ड्यूटी पर नहीं रहने के दौरान किसी दुर्घटना का शिकार हो गया या हमारे देश में प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने के दौरान किसी बचाव कार्य में शामिल था

birthday of the Life Assured is 70 years, whichever is earlier, provided the Policy is in-force as on date of accident.

- The additional premium for this Rider will not be required to be paid after all premiums under the Base Policy have been paid or on and after the policy anniversary on which the age nearer birthday of the Life Assured is 70 years, whichever is earlier. However, the premium under the Base Policy with which this Rider is attached shall continue to be paid beyond age 70 years till the end of policy term, wherever applicable.
- The maximum aggregate limit of Accident Benefit cover shall be as under:

i) For LIC's Jeevan Shiromani with minimum Basic Sum Assured of Rs. 100 lakhs

The maximum aggregate limit of assurance under all policies including policies with in-built Accident Benefit taken with Life Insurance Corporation of India under individual policies as well as group policies on the same life to which following benefits apply shall not in any event exceed Rs.200 lakhs of Accident Benefit Sum Assured (including LIC's Jeevan Shiromani). If there be more policies than one and if the total Accident Benefit Sum Assured exceeds Rs. 200 lakhs (including a minimum of 100 lakhs under LIC's Jeevan Shiromani) the benefits shall apply to the first Rs. 200 lakhs Accident Benefit Sum Assured in order of date of policies issued.

ii) For all other plans (excluding LIC's Jeevan Shiromani):

The maximum aggregate limit of assurance under all policies including policies with in-built Accident Benefit taken with Life Insurance Corporation of India under individual policies as well as group policies on the same life to which following benefits apply shall not in any event exceed Rs.100 lakhs of Accident Benefit Sum Assured. If there be more policies than one and if the total Accident Benefit Sum Assured exceeds Rs. 100 lakhs, the benefits shall apply to the first Rs. 100 lakhs Accident Benefit Sum Assured in order of date of policies issued.

In any case, the maximum Accident Benefit cover offered to an individual including the policies taken under Condition 4.(e) (i) above, will not exceed Rs. 200 lakhs.

(f). Exclusions:

The Corporation shall not be liable to pay the benefits as specified in Condition 1.(a) or 1.(b) of Part C above, if the disability or the death of the Life Assured shall:

- be caused by intentional self injury, attempted suicide, insanity or immorality or whilst the Life Assured is under the influence or consumption of intoxicating liquor, narcotic or drug (unless prescribed by doctor as a part of treatment); or
- be caused by injuries resulting from taking any part in riots, civil commotion, rebellion, war (whether war be declared or not), invasion, hunting, mountaineering, steeple chasing, racing of any kind, paragliding or parachuting, taking part in adventurous sports; or
- result from the Life Assured committing any criminal act with criminal intent; or
- a) arise from employment of the Life Assured in the armed forces or military service. This exclusion is not applicable if the Life Assured was involved in an accident when he is not on duty or was involved in any rescue operations while combating natural calamities in our country; or
- b) arise from being engaged in police duty (which excludes administrative assignments) in any police organization other than paramilitary forces. This exclusion is not applicable where

तो यह अपवर्जन लागू नहीं होगा।

ख) अर्धसैनिक बल के अलावा किसी भी पुलिस संगठन में पुलिस ड्यूटी (प्रशासनिक कार्य को छोड़कर) में संलग्न होने से होती है। यह अपवर्जन लागू नहीं होता है, जहां पुलिस ड्यूटी में संलग्न रहने के दौरान दुर्घटना से होने वाला दुर्घटना हितलाभ बीमा सुरक्षा का विकल्प चुना गया है; या

- v) बीमित व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना की तिथि से 180 दिन दिनों के बाद होती है।

भाग – 'डी' : सेवा पहलु से संबंधित शर्तें

1. **आयु सम्बंधित प्रमाण :** जैसे मूल पॉलिसी में उल्लेखित

2. **जब्त और गैर-जब्त विनियम:**

कुछ अन्य स्थितियों में जब्त : जैसे मूल पॉलिसी में उल्लेखित

गैर-जब्त विनियम: ये प्रावधान इस अनुवृद्धि पर लागू नहीं होते, क्योंकि यह कोई प्रदत्त मूल्य अर्जन नहीं करती, और यदि मूल पॉलिसी कालातीत स्थिति में हो तो अनुवृद्धि हितलाभ लागू होना बंद हो जाता है।

3. **कालातीत पॉलिसी का पुनर्चलन**

अनुवृद्धि के पुनर्चलन का मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ विचार किया जाएगा और निगम की बीमालेखन नीति के अनुसार पुनर्चलन किया जाएगा। मूल पॉलिसी दस्तावेज़ के भाग डी में "कालातीत पॉलिसी के पुनर्चलन" के तहत नियम और शर्तों का उल्लेख किया गया है।

4. **अभ्यर्पण मूल्य**

यह अनुवृद्धि कोई प्रदत्त मूल्य अर्जित नहीं करेगी और उसके तहत कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा। हालांकि, अगर इस हितलाभ का चयन जिस मूल पॉलिसी साथ किए किया गया हो उसके अभ्यर्पण पर, बशर्तें इस हितलाभ एवं मूल पॉलिसी के संबंध में सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो, और मूल पॉलिसी ने अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त कर लिया हो, प्रीमियम भुगतान अवधि के बाद बीमा-सुरक्षा के लिए अदा किए गए अतिरिक्त अनुवृद्धि प्रीमियमों को निम्नानुसार वापस किया जाएगा :

नियमित प्रीमियम पॉलिसी : कुछ भी देय नहीं होगा।

एकल प्रीमियम पॉलिसी : अनुवृद्धि एकल प्रीमियम का 90% * (पूर्ण वर्षों में इस हितलाभ के लिए बकाया अवधि/अनुवृद्धि अवधि)

सीमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसी : प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान : 80% * (प्रति रु.1000 दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि पर वार्षिकीकृत अनुवृद्धि प्रीमियम - 1) * (दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि/1000) * (उन वर्षों की संख्या जिनके लिए इस हितलाभ के संबंध में प्रीमियम का भुगतान किया गया है)

प्रीमियम भुगतान अवधि के बाद : 80% * (प्रति रु.1000 दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि पर वार्षिकीकृत अनुवृद्धि प्रीमियम - 1) * (दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि/1000) * (अनुवृद्धि के लिए प्रीमियम भुगतान अवधि) * (सम्पूर्ण वर्षों में अनुवृद्धि के लिए बकाया अवधि/(अनुवृद्धि अवधि - अनुवृद्धि ले लिए प्रीमियम भुगतान अवधि)

जहाँ एकल प्रीमियम/वार्षिकीकृत अनुवृद्धि प्रीमियम में कर शामिल नहीं है।

टिप्पणी:प्रतीक (*) गुणन को दर्शाता है और प्रतीक (/) विभाजन को दर्शाता है।

5. **ऋण :** इस अनुवृद्धि के तहत कोई ऋण अनुमोदित नहीं होगा।

6. **एलआईसी की दुर्घटनात्मक मृत्यु तथा अपंगता हितलाभ अनुवृद्धि की समाप्ति :**

निम्नलिखित में से सबसे पहले कोई भी स्थिति घटित होने पर, एलआईसी की दुर्घटनात्मक मृत्यु तथा अपंगता हितलाभ अनुवृद्धि तुरंत ही समाप्त हो जाएगी :

(1) बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर।

(2) सम्पूर्ण एवं स्थायी अपंगता की स्थिति में अपंगता हितलाभ की अंतिम

the option to cover Accidental Death and Disability Benefit arising on accident while engaged in police duty, has been chosen; or

- v) occur after 180 days from the date of accident of the Life Assured.

PART-D: CONDITIONS RELATED TO SERVICING ASPECTS

1. **Proof of Age :** Same as mentioned under the Base Policy

2. **Forfeiture and Non-forfeiture Regulations:**

Forfeiture in Certain Other Events: Same as mentioned under the Base Policy.

Non-forfeiture Regulations: These provisions do not apply to this Rider as it does not acquire any paid up value and the Rider benefit ceases to apply, if Base policy is in lapsed condition.

3. **Revival of lapsed Policies:**

The revival of the Rider will be considered along with the revival of the Base Policy and shall be revived in accordance with the Underwriting policy of the Corporation. The terms and conditions are as mentioned under "Revival of Lapsed Policies" in Part D of the Base Policy Document.

4. **Surrender Value:**

This Rider shall not acquire any Paid-up Value and no Surrender Value will be available under this Rider. However, if this Rider has been opted for and on surrender of the base policy to which this Rider is attached, provided all the due premiums in respect of this Rider and the base policy have been paid and the base policy has acquired surrender value, additional rider premium charged in respect of cover after premium paying term shall be refunded as follows:

Regular premium policy: Nothing shall be refunded.

Single premium policy: 90% of rider single premium * (outstanding term for this rider in complete years/ Rider term)

Limited premium paying policy:

During Premium Paying Term: 80% * (annualised rider premium per Rs. 1000 Accident Benefit Sum Assured – 1) * (Accident Benefit Sum Assured/1000) * (Number of years for which premiums in respect of this rider have been paid)

After Premium Paying Term: 80% * (annualised rider premium per Rs. 1000 Accident Benefit Sum Assured – 1) * (Accident Benefit Sum Assured/ 1000) * (Premium paying term for the rider) * (outstanding term for the rider in complete years / (Rider term – Premium paying term for the rider))

Where single premium or annualized rider premium mentioned above excludes taxes.

Note:Symbol (*) denotes multiplication and symble (/) denotes division.

5. **Loan:** No loan will be granted under this Rider.

6. **Termination of LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider:**

The cover under LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider will terminate on the earliest of:

- On death of the Life Assured.
- On payment of final instalment of disability benefit in case of total and permanent disability.
- The date of expiry of the LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider (as mentioned in the Schedule).
- The date on which the Base Policy to which the Rider is attached terminates or is converted into a

किश्त का भुगतान होने पर ।

- (3) एलआईसी की दुर्घटनात्मक मृत्यु तथा अपंगता हितलाभ अनुवृद्धि समाप्त होने की तारीख पर (जैसे अनुसूची में उल्लेखित है)
- (4) वह तारीख जिस पर मूल पॉलिसी, जिससे यह अनुवृद्धि संलग्न हो, समाप्त हो जाती है या पूर्ण प्रदत्त पॉलिसी में परिवर्तित हो जाती है।
- (5) इस अनुवृद्धि के तहत निःशुल्क अवलोकन निरस्तीकरण राशि का भुगतान हो जाने पर।

अगर इस अनुवृद्धि के तहत अपंगता हितलाभ को स्वीकार किया गया है और इसके बाद मूल पॉलिसी का पॉलिसी धारक द्वारा अभ्यर्पण किया जाता है, तो इस अनुवृद्धि में अपंगता हितलाभ के प्रावधानों के अनुसार अपंगता हितलाभ की किश्तों, अगर कोई हो, का भुगतान जारी रहेगा।

- 7. निःशुल्क अवलोकन अवधि :** यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के “नियम एवं शर्तों” से संतुष्ट नहीं है तो पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त करने की तारीख से 15 दिन (इंटरनेट के माध्यम से पॉलिसी खरीदने पर 30 दिन) की निःशुल्क अवलोकन अवधि के दौरान वह आपत्तियों का कारण बताते हुए मूल पॉलिसी दस्तावेज के साथ अनुवृद्धि संलग्नक निगम को लौटा सकता है। पॉलिसी प्राप्त होने पर, निगम अनुवृद्धि को निरस्त कर देगा और इस अनुवृद्धि के समावेशन से संबंधित समानुपाती जोखिम प्रीमियम (इस अनुवृद्धि के लिए) तथा चिकित्सा जांच, विशेष रिपोर्टों (अनुवृद्धि समावेशन के कारण, यदि कोई हो) और स्टॉप शुल्क के प्रभार काटकर इस अनुवृद्धि के लिए जमा किए गए प्रीमियम की राशि लौटा देगा ।

भाग ई

लागू नहीं

भाग एफ : अन्य नियमों एवं शर्तें

1. **समनुदेशन और नामांकन:** मूल पॉलिसी की तरह
2. **कर :**

वैधानिक कर, यदि कोई हो, भारत सरकार द्वारा ऐसे बीमा अनुवृद्धि पर लगाया जाता है या किसी भी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकरण के रूप में समय-समय पर लागू होने वाले कर कानूनों और कर की दर के अनुसार होगा।

प्रचलित दरों के अनुसार देय लागू करों की राशि, पॉलिसीधारक द्वारा अतिरिक्त प्रीमियम सहित प्रीमियम पर देय होगी, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम के अतिरिक्त और अलग से लिया जाएगा। भुगतान की गई राशि को अनुवृद्धि के तहत देय लाभों की गणना के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।
3. **दावे के लिए सामान्य आवश्यकताएँ :**

मूल पॉलिसी में बताए गए दावा प्रावधानों के अतिरिक्त, दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु हितलाभ तथा अपंगता दावे के विचार के लिए तथा जिस घटना के कारण मृत्यु/अपंगता हुई है उस को जाँचने के लिए नीचे दिए गए सूची से लागू विवरणों को मांगा जा सकता है :

 - 1) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ आई आर) की प्रमाणित प्रति।
 - 2) पुलिस अन्वेषण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।
 - 3) पंचनामे की प्रति।
 - 4) मृत्यु का संभावित कारण जानने के लिए पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट। यदि पोस्टमॉर्टेम में अंतरांग संरक्षित किया गया है, तो उसमें पाई गई सामग्री अर्थात्, क्या बीमित व्यक्ति ने शराब, नशीली पदार्थों या जहर का सेवन किया था या नहीं, जानने के लिए रासायनिक विश्लेषक रिपोर्ट ।
 - 5) समाचार पत्र की कात्रण जहां दुर्घटना की सूचना दी गई है।
 - 6) यदि मृत्यु वाहन दुर्घटना के कारण होती है, तो ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि, यदि बीमित व्यक्ति वाहन चला रहा था।
 - 7) मृत्यु के बारे में उप-संभागीय मजिस्ट्रेट का अंतिम निर्णय- यह मृत्यु को प्राकृतिक/आत्महत्या/आकस्मिक का वर्गीकरण प्रदान करेगा।
 - 8) जब पुलिस अधिकारियों को दुर्घटना सूचित नहीं की जाती है, जैसे

paid up policy.

- e) On payment of Free Look cancellation amount for this Rider.

If Disability Benefit claim is admitted under this Rider and the Base Policy is surrendered subsequently by the policyholder, the Disability Benefit instalments, if any, shall continue to be paid as per the provisions of Disability Benefit under this Rider.

7. Free look period:

During the Free Look period, If the policyholder is not satisfied with the “Terms and Conditions” of the Rider, the Rider Endorsement along with the Base Policy may be returned to the Corporation within 15 days (30 days if the policy is purchased online) from the date of receipt of the policy stating the reason of objections. On receipt of the same the Corporation shall cancel the Rider and return the amount of premium deposited for this Rider after deducting the proportionate risk premium (for this Rider) for the period of cover, charges for medical examination, special reports, if any, on account of Rider inclusion and stamp duty charges.

PART E

Not Applicable.

PART – F: OTHER TERMS AND CONDITIONS

1. **Assignments and Nominations:** Same as mentioned under the Base Policy.
2. **Tax:**

Statutory Taxes, if any, imposed on such insurance Riders by the Government of India or any other Constitutional Tax Authority of India shall be as per the Tax laws and the rate of tax as applicable from time to time.

The amount of applicable taxes payable as per the prevailing rates, shall be payable by the policyholder on premiums including extra premiums, which shall be collected separately over and above in addition to the premiums payable by the policyholder. The amount of Tax paid shall not be considered for the calculation of benefits payable under the Rider.
3. **Normal requirements for accidental claim:**

In addition to the Claim provisions as stated in the Base Policy, for considering accidental death benefit and disability claim, the applicable statements from the following list may be called to ascertain circumstances under which death/disability took place:-

 - 1) A certified copy of first information report (FIR).
 - 2) A certified copy of police inquest report.
 - 3) Copy of panchanama.
 - 4) Post mortem report to know the probable cause of death. If viscera is preserved in post mortem, then chemical analyzer report to know the contents i.e. whether life assured has consumed liquor, drugs, narcotics or poison.
 - 5) News paper cuttings where accident is reported.
 - 6) If death is due to vehicle accident, then copy of driving licence, if life assured was driving the vehicle.
 - 7) Sub-divisional magistrate final verdict about death- this will give classification of death as ‘natural/ suicide/accidental’
 - 8) When accident is not reported to police authorities, like death due to dog or snake bite, then alternate proofs such as statement of eye witness, affidavit

कुत्ते या साँप काटने की बजह से मृत्यु, तो वैकल्पिक प्रमाण जैसे की प्रत्यक्षदर्शी का बयान, ग्रामसेवक या सरकारी अधिकारियों का हलफनामा, हमारी अपनी जांच रिपोर्ट, देखने वाले चिकित्सक या अस्पताल की रिपोर्ट पर्याप्त होगी।

9) अस्पताल का उपचार रिपोर्ट, आदि।

कोई भी दावा स्वीकार्य होने के लिए मृत्यु की तारीख से 90 दिन के अंदर, मृत्यु की सूचना मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ निगम के उस कार्यालय में अधिसूचित की जानी चाहिए, जहां पॉलिसी से संबंधित सेवाएं दी जाती हैं। तथापि, दावाकर्ता के द्वारा सच्चे दावों की सूचना में हुई देरी को, निगम के द्वारा गुण-दोष की योग्यता के आधार पर तथा दावाकर्ता के नियंत्रण से बाहर के कारणों से हुई देरी प्रमाणित होने पर लागू किया जा सकता है।

अपंगता हितलाभ का दावा करने के लिए अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेज :

अपंगता होने के बाद उसका पूरा विवरण लिखित रूप में निगम के उस कार्यालय को दिया जाना चाहिए, जहाँ इस पॉलिसी सेवित होती है, जिसके साथ पता एवं भीमि व्यक्ति व्यक्ति का ठिकाना भी हो, अपंगता होने के 90 दिनों के अंदर निगम के सेवाकर्ता कार्यालय को उस तरीके से दिया जाना चाहिए, जैसा इसे आवश्यक हो, और उसके साथ निगम की संतुष्टि के अनुसार और निगम के किसी खर्च बिना अपंगता का प्रमाण भी देना पड़ेगा। निगम द्वारा प्राधिकृत चिकित्सीय परीक्षक भीमि व्यक्ति की जांच करेंगे और सूचना के बाद दावा किए गए किसी भी अपंगता को प्रमाणित करेंगे। इसके अलावा, अगर आवश्यक हो तो हर ऐसे मामलों पर अलग से विचार करते हुए अपंगता की निरंतरता को वैध स्थापन करने के लिए बाद में भी चिकित्सा जांच की जा सकती है।

अनुवृद्धि दावा के मूल्यांकन के लिए कोई भी अतिरिक्त आवश्यकताओं की मांग करने का अधिकार निगम द्वारा संरक्षित है।

4. वैधानिक परिवर्तन:

इस अनुवृद्धि के तहत देय प्रीमियम और लाभ सहित नियम और शर्तें प्रासंगिक विधान और विनियमों के अनुसार भिन्नता के अधीन हैं।

भाग 'जी' : वैधानिक प्रावधान

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 : मूल पॉलिसी में उल्लेखित के अनुसार

शिकायत निवारण रचनातंत्र : मूल पॉलिसी में उल्लेखित के अनुसार

- टिप्पणी:**
- इस दस्तावेज में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों और विशेष प्रावधानों/ शर्तों की व्याख्या के विषय में कोई परिवाद होने की स्थिति में, अंग्रेजी भाषांतर विधिमान्य होगा।
 - इस संलग्नक में उल्लेखित शर्तों अलग से नहीं पढ़ा जाना चाहिए बल्कि मूल पॉलिसी में उल्लेखित शर्तों के साथ अनुबंध में पढ़ा जाना चाहिए।

आपसे अनुरोध है कि आप इस पॉलिसी की जांच कर लें और यदि इसमें कोई गलती पाई जाए, तो इस पॉलिसी को सुधार के लिए तुरंत लौटा दें।

of gramsevak or govt. officials, our own enquiry report, attending physician or hospital reports may be sufficient.

9) Hospital treatment records, etc.

Within 90 days from the date of death, intimation of death along with death certificate must be notified in writing to the office of the Corporation where the policy is serviced for any claims to be admissible. However, delay in intimation of the genuine claim by the claimant may be condoned by the Corporation on merit and where delay is proved to be for the reasons beyond his/ her control.

Additional requirements for claiming Disability Benefit:

After the happening of the disability, full particulars thereof must be given in writing to the office of the corporation where this policy is serviced together with the then address and whereabouts of the Life Assured and within 90 days of the happening of the disability, must be given to the servicing office of the Corporation, in the manner required by it, proof of disability satisfactory to the Corporation and without any expense to the Corporation. Medical Examiner authorized by the Corporation shall examine the Life Assured and certify in respect of any disability claimed after the intimation. Further medical examination may be done to validate the continuity of disability on case to case basis, if required.

The Corporation reserves the right to call for any additional requirement for the assessment of Rider claim.

4. **Legislative Changes:**

The Terms and Conditions including the premiums and benefits payable under this Rider are subject to variation in accordance with the relevant Legislation & Regulations.

PART-G: STATUTORY PROVISIONS

Section 45 of Insurance Act, 1938: Same as mentioned under the Base Policy.

Grievance Redressal Mechanism: Same as mentioned under the Base Policy.

- Note:**
- In case of dispute in respect of interpretation of terms and conditions mentioned in this Document, the English version shall stand valid.
 - The conditions mentioned in this endorsement are not to be read in isolation but in agreement with the conditions mentioned in the Base Policy.

YOU ARE REQUESTED TO EXAMINE THIS POLICY, AND IF ANY MISTAKE BE FOUND THEREIN, RETURN IT IMMEDIATELY FOR CORRECTION.